

इसे वेबसाइट www.govtprintmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 460]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 23 नवम्बर 2021—अग्रहायण 2, शक 1943

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 23 नवम्बर 2021

क्र. एफ ए 3-33-2017-1-पांच (83).—मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) की धारा 9 की उपधारा (1) और धारा 15 की उपधारा (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-33-2017-1-पांच (42), दिनांक 5 अगस्त 2017 में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :

उक्त अधिसूचना में,—

- (क) अनुसूची II—6% में, क्रम संख्या 243 और उससे संबंधित प्रतिष्ठियों को निरसित किया जाएगा;
(ख) अनुसूची III—9% में, क्रम संख्या 452 त के सामने, कॉलम (3) में, “सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर माल के संबंध में” शब्दों का निरसन किया जाएगा.

2. यह अधिसूचना दिनांक 27 अक्टूबर, 2021 से लागू होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 23 नवम्बर 2021

क्र. एफ ए 3-33-2017-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्र. एफ ए 3-33-2017-1-पांच (83), दिनांक 23 नवम्बर 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

Bhopal, the 23rd November 2021

No. F A 3-33-2017-1-V-(83).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 9 and sub-section (5) of Section 15 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby, makes the following further amendments in this department's Notification No. F-A3-33-2017-1-V(42), dated the 29th June, 2017, namely :—

In the said notification,—

- (a) in Schedule II—6% S. No. 243 and the entries relating thereto shall be omitted;
 - (b) in Schedule III—9%, against S. No. 452 P, in column (3), the words "in respect of Information Technology software", shall be omitted.
2. This notification shall come into force from 27th day of October 2021.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

R. P. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.